

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फौजी
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना

पटना, दिनांक.....

- विषय:-** प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अन्तर्गत 86वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र धतिवना, प्रखण्ड- थावे, जिला- गोपालगंज (01 इकाई) के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त केन्द्रांश मद की कुल राशि ₹8.82375 लाख (आठ लाख बरासी हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये) मात्र तथा समानुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश मद की कुल राशि ₹2.94125 लाख (दो लाख चौरानवे हजार एक सौ पच्चीस रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹11.765 लाख (ग्यारह लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटन की स्वीकृति।
- प्रसंग:-** महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक- 168, दिनांक- 05.04.2024
- आदेश:-** स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अन्तर्गत 86वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत स्वास्थ्य उप केन्द्र धतिवना, प्रखण्ड- थावे, जिला- गोपालगंज (01 इकाई) के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी कार्यकारी एजेंसी -बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना है। कार्यकारी एजेंसी, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध एवं कार्य की प्रगति को देखते हुए स्वास्थ्य उपकेन्द्र धतिवना के भवन निर्माण हेतु अक्रियान्वित/ड्रॉप की गयी योजना की राशि (विभागीय स्तर पर खोली गयी एस०एन०ए०) से द्वितीय किस्त केन्द्रांश मद की राशि कुल राशि ₹8.82375 लाख (आठ लाख बरासी हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये) मात्र तथा समानुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश मद की कुल राशि ₹2.94125 लाख (दो लाख चौरानवे हजार एक सौ पच्चीस रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹11.765 लाख (ग्यारह लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न तालिका के अनुरूप राशि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

राशि लाख रुपये में

जिला	अल्पसंख्यक वाहुल्य क्षेत्र	E.C.	परियोजना का नाम	अनुपात	प्रति इकाई दर	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित समानुपातिक राज्यांश की राशि:	मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र	मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी प्रथम किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र	कार्यकारी एजेंन्सी द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में समानुपातिक राज्यांश की द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेंन्सी द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में केन्द्रांश की द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत कुल (केन्द्रांश + राज्यांश) राशि (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	थावे (गोपालगंज)	86 th	Health Sub Centre in Minority Area (Dhatiwana)	75:25	23.86	17.896	5.964	8.948	2.982	8.82375	2.94125	11.765
Total:-						17.896	5.964	8.948	2.982	8.82375	2.94125	11.765

02. उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- MsDP-17/1/2021-MsDP-MOMA, दिनांक- 16.08.2021, Computer No. 127434 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के पास अक्रियान्वित योजनाओं की विमुक्त परन्तु अव्यवहृत राशि का उपयोग क्रियान्वित हो रही योजनाओं में किया जा सकता है।

03. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- MsDP-21/17/2021-MsDP-MOMA, दिनांक- 29.04.2022 के साथ संलग्न वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयी झापांक- F.No. 1(13)PFMS/FCD/2020, दिनांक- 23.03.2022 के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राशि का कोष प्रवाह/व्यय Single Nodal Account के माध्यम से किया जाना है।

04. State Scheme Manager (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Scheme Code- BR149) द्वारा उक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹8.82357 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.94125 लाख, कुल ₹11.765 लाख मात्र की अधिसीमा (Limit), Single Nodal Agency (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना (Agency Unique Code- BRPA00009367 & Scheme Code- BR149), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, कार्यकारी एजेंसी- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) को PFMS के माध्यम से उक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹8.82357 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.94125 लाख अर्थात् कुल ₹11.765 लाख मात्र की अधिसीमा (Limit) निर्धारित करेंगे। कार्यकारी एजेंसी- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) द्वारा द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹8.82375 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.94125 लाख अर्थात् कुल ₹11.765 लाख मात्र का आवंटन किया जाता है।

कृ०पू०

05. कार्यकारी एजेन्सी, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
06. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
07. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989/वि० दिनांक 16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपेक्षित होगा।
08. स्वीकृत एवं आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
09. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इस योजना की राशि की निकासी हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श संचिका संख्या-अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018 के पृष्ठ 60/टि० पर प्राप्त है।
11. उपर्युक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- State Scheme Manager, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम- सह- Single Nodal Agency-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय प्रमुख, संस्थागत व्यापार समूह, ICICI बैंक लिमिटेड, पटना- 800001/शाखा प्रबंधक, शाखा दुजरा, पटना, ICICI बैंक लिमिटेड, श्रीराज कॉम्प्लेक्स, 117A, अशोक राजपथ, दुजरा, पटना- 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

E-mail ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

E-mail ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018...../पटना, दिनांक.....2025
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-07-ग-MSDP-10/2018.....572...../पटना, दिनांक.....24/01/2025
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक

24/01